

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक—:प.1(1)कार्मिक / 2024 / 643

दिनांक :-13.06.24

:: अधिसूचना ::

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहायक प्रोग्रामर), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सूचना सहायक), परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (सिविल), परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (विद्युत), वरिष्ठ प्रारूपकार, कनिष्ठ प्रारूपकार, विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी), कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक के पदों को भरने के संबंध में जारी विज्ञापन क्रमांक 795 दिनांक 12.07.2023 एवं उक्त पदों की जारी विज्ञप्ति के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :-

1. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 एवं संशोधित नियम-2021 के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक/या कुल अंक जहा कहीं भी निहित किये गये हो को 5 प्रतिशत का शिथिलन प्रदान किया जावेगा।
2. भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की जारी अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 एवं 01.08.2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किये गये हो में 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जावेगी। उक्त 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने के उपरान्त भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में और 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जावेगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किया जायेगा।
4. सभी पदों के लिये समग्र (Aggregate) 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक आवश्यक है, परन्तु कनिष्ठ सहायक के लिए जारी विज्ञप्ति, के परीक्षा कार्यक्रम में पार्ट प्रथम के सेक्शन ए एवं बी के लिये पृथक-पृथक न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत आवश्यक हैं।

(डॉ. अनिल कुमार)
सचिव